



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट – ए संख्या – 975 वर्ष 2026

डॉ. रमाश्रय यादव
बनाम

.....याचिकाकर्ता

निदेशक, एक्सटेंशन एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : मुकुल यादव, राजेश यादव

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : दिनेश चन्द्र मिश्रा

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. प्रस्तुत याचिका कुछ निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:

“(क) प्रतिवादी संख्या 2, अधिकारी प्रभारी, कृषि विज्ञान केंद्र, बलारी, मुरादाबाद को निर्देशित करने हेतु परमादेश (मैंडेमस) की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिससे कि वह याचिकाकर्ता का माह नवंबर, 2025 का वेतन 18% ब्याज सहित जारी करे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 3 को तलब करने तथा उसके द्वारा किए गए उक्त कदाचार के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु परमादेश (मैंडेमस) की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए।

(ग) मामले की परिस्थितियों के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा उचित एवं न्यायोचित समझे जाने वाले अन्य कोई रिट/आदेश/निर्देश जारी किए जाएं।

(घ) वर्तमान रिट याचिका की वाद व्यय याचिकाकर्ताओं को प्रदान की जाए।”

3. आज, कृषि विज्ञान केंद्र, बिलारी, मुरादाबाद के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त निर्देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनके अनुसार याचिकाकर्ता को माह नवंबर, 2025 का वेतन भुगतान कर दिया गया है।

4. तदनुसार, यह याचिका निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त की जाती है।

5. निर्देशों की एक प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए तथा उसे परिशिष्ट ‘ए’ रूप में अभिलिखित किया जाए।

जनवरी 28, 2026

आशु

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"